**बिहार सरकार**

**उद्योग विभाग**

संoसंo–03/उoनिo/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14

**शुद्धि पत्र**

स्वीकृत्यादेश संख्या–3368, दिनांक–01.10.2018 की कंडिका–06 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–4050, दिनांक–19.11.2018 की कंडिका–1 को पूर्ण रूप से संशोधित की जाती है, तद्नुसार इसे इस प्रकार पढ़ा जाए :–

"उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें। जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से एकमुश्त राशि की निकासी कर उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता सं0–277 में उपलब्ध करायेंगे। जिसका व्यय आवश्यकतानुसार उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी फार्म–बी0टी0सी0–46 पर की जायेगी।"

2. उक्त वाक्य को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

3. स्वीकृत्यादेश की अन्य शर्त्तें यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
**(प्रदीप कुमार)**
**अपर सचिव,**
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक......................../
03/उ0नि0/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14

पटना, दिनांक......................

प्रतिलिपिः– स्वीकृत्यादेश संख्या–3368, दिनांक–01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–4050, दिनांक–19.11.2018 की छायाप्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
**(प्रदीप कुमार)**
**अपर सचिव,**
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक......................../
03/उ0नि0/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14

पटना, दिनांक......................

प्रतिलिपिः– स्वीकृत्यादेश संख्या–3368, दिनांक–01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–4050, दिनांक–19.11.2018 की छायाप्रति के साथ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक......................../
03/उ0नि0/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14

पटना, दिनांक......................

प्रतिलिपिः– स्वीकृत्यादेश संख्या–3368, दिनांक–01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–4050, दिनांक–19.11.2018 की छायाप्रति के साथ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 164 /
03/उ0नि0/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14

पटना, दिनांक 9.1.19

प्रतिलिपिः– स्वीकृत्यादेश संख्या–3368, दिनांक–01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–4050, दिनांक–19.11.2018 की छायाप्रति के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1, योजना, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive suieet Dharmendra sir \Sanction Order\2015-16---------231

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 3368 / पटना, दिनांक 01.10.18

सं०उ०-03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)-04/14

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2018—19 में बिहार उत्सव (दिनांक 15—31 मार्च, 2019 तक) नई दिल्ली एवं दिनांक 21—23 मार्च, 2019 तक गाँधी मैदान, पटना में आयोजन हेतु कुल अनुमानित राशि ₹84.19 लाख (चौरासी लाख उन्नीस हजार) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :— स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 में बिहार उत्सव (दिनांक 15—31 मार्च, 2019 तक) नई दिल्ली एवं दिनांक 21—23 मार्च, 2019 तक गाँधी मैदान, पटना में आयोजन हेतु कुल अनुमानित राशि ₹84.19 लाख (चौरासी लाख उन्नीस हजार) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर इस उत्सव का आयोजन नई दिल्ली एवं पटना में किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य राज्य के गौरवशाली सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत तथा समृद्ध बिहार के साथ—साथ बढ़ता बिहार की योजनाओं को राज्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जन—जन तक पहुँचाना है। उक्त आयोजन के अवसर पर हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के उत्पादों/कलाकृतियों की प्रर्दशनी सह बिक्री की जाती है। साथ ही उक्त प्रक्षेत्र के उत्पादो की जीवन्त प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जायेगा।

(3) इस योजना अंत्तर्गत उक्त अवसर पर राज्य के हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को अपने उत्पादों की प्रर्दशनी—सह—बिक्री हेतु निःशुल्क स्टॉल आवंटित किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय संलग्न परिशिष्ट—01 के अनुरूप समय—समय पर उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0101 हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड 23-2851001040101, विषय शीर्ष 0101.26.01, विज्ञापन और प्रकाशन मद से बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलनीय होगा। जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

(6) उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें। जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से एकमुश्त राशि की निकासी कर RTGS के माध्यम से उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड (06379), पटना के चालू खाता सं0—31599798732 में उपलब्ध करायेगें। राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद के आधार पर फार्म—बी0टी0सी0—25 पर की जायेगी।

(7) यह राज्य सरकार की एक चालू योजना है। इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे।

(8) इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक 4263, दिनांक 20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेशक के अनुरूप की जायेगी।

क्रमशः पृष्ट- 02

114

(9) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड अंकित

(10) प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन् संचिका *सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14* के **पृष्ट–72/टि0** पर दिनांक **18.09.2018** को है जिसका गै०सं०प्रे० **संख्या–2386/आई०डी०सी०**, दिनांक **14.09.2018** है।

(11) वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार) 1·9
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3368 /
*सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14*
पटना, दिनांक 01·10·18

प्रतिलिपिः–संलग्न परिशिष्ट–1 के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3368 /
*सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14*
पटना, दिनांक 01·10·18

प्रतिलिपिः– संलग्न परिशिष्ट–1 के साथ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3368 /
*सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14*
पटना, दिनांक 01·10·18

प्रतिलिपिः– संलग्न परिशिष्ट–1 के साथ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3368 /
*सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14*
पटना, दिनांक 01·10·18

प्रतिलिपिः– संलग्न परिशिष्ट–1 के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1, योजना, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive suket Dharmendra sir Sanction Order 2015-16---------178

## परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार उत्सव (दिनांक 15–31 मार्च, 2019 तक) नई दिल्ली एवं दिनांक 21–23 मार्च, 2019 तक गाँधी मैदान, पटना में तीन दिवसीय आयोजन हेतु बजट मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104–हस्तशिल्प उद्योग, माँग संख्या–23, उप शीर्ष 0101–हस्तशिल्प का विकास, विषय शीर्ष 0101.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन, विपत्र कोड 23-2851001040101 अन्तर्गत अनुमानित व्यय विवरणी :–

| क्र० | मद | अनुमानित व्यय राशि (लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01. | दिल्ली हाट/अन्य स्थान हेतु आरक्षण शुल्क/प्रर्दशनी हॉल/रंगमंच का आरक्षण शुल्क, विद्युत शुल्क, पानी शुल्क इत्यादि। | 25.00 |
| 02. | आयोजन स्थल का साज–सज्जा/सजावट/हॉल/फेसिया निर्माण/स्टाल निर्माण/रंगमंच साज–सज्जा/लाईट/साउण्ड/आवासन/परिवहन/गर्लगाईड/प्रचार–प्रसार प्रिटिंग/डिजिटल/रेडियो मिर्ची/कार्यालय व्यय/कार्यान्वयन एजेन्सी शुल्क इत्यादि। | 35.00 |
| 03. | सांस्कृतिक कार्यक्रम/अतिविशिष्ट अतिथि सत्कार/कॉन्फ्रेंस/सेमिनार का आयोजन | 10.00 |
| 04. | 21–23 मार्च, 2019 तक गाँधी मैदान, पटना में आयोजन हेतु | 12.00 |
| 05. | गतवर्ष का अधिकायी व्यय का भुगतान | 2.19 |
| | कुल योग :– | ₹84.19 |

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

# बिहार सरकार
## उद्योग विभाग

सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14

### शुद्धि पत्र

स्वीकृत्यादेश संख्या–3368, दिनांक–01.10.2018 की कंडिका–06 का अंतिम वाक्य निम्नलिखित है:–
"राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद के आधार पर फार्म–BTC-25 पर की जायेगी।"
उक्त वाक्य को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय–
"राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना द्वारा फार्म–BTC-26 पर की जायेगी। एकमुश्त अग्रिम राशि की निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।"
2. स्वीकृत्यादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
**(प्रदीप कुमार)**
**अपर सचिव,**
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक........................../
03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि:– स्वीकृत्यादेश संख्या–3368, दिनांक–01.10.2018 की छायाप्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
**(प्रदीप कुमार)**
**अपर सचिव,**
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक........................../
03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि:– स्वीकृत्यादेश संख्या–3368, दिनांक–01.10.2018 की छायाप्रति के साथ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि:– स्वीकृत्यादेश संख्या–3368, दिनांक–01.10.2018 की छायाप्रति के साथ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4050/
03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(बिहार उत्सव)–04/14
पटना, दिनांक 19.11.18

प्रतिलिपि:– स्वीकृत्यादेश संख्या–3368, दिनांक–01.10.2018 की छायाप्रति के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1, योजना, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।